

876 122
11/01/12



प्र० 26
(नियम 4क देखिए)

२६. रमीष्वरी शुभा (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, अमरीष कुमार

आयु ६३ वर्ष,

पुत्र/पुत्री/पत्री स्वर्गीय उत्तराधीश
जो १७३ रामचन्द्रनाथ बाबू पुरी

का/की विवाही हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ:-

★ (SURENDRA KUMAR) लिखित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप लिखित किया गया है/ किए गए हैं।

(उद्दि अभियाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं रु० अवल० १५/२००५

(ii) पुलिस थाना (थाने) दृष्टिकोण जिला (जिले) दृष्टिकोण राज्य उत्तराखण्ड

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है १५, १४८, ३५३, ३३२ आदि

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई ०९-०८-२००५ प्राप्त न्यायालय पर ही ० जौ० रु० न० न०

(v) तारीख (तारीखे) जिनको आरोप विरचित किया गये थे ०९-०८-२००५

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं मालविका लाला जर्जर भाष्यकारी शहरिराज निर्गता ना लाभित हैं।

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष रहराया गया है/ नहीं

Signature

✓

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नोटर्ही

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) नोटर्ही जिला (जिले) राज्य

(IV) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं

(V) तारीख (तारीख) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनार गए थे

VI) वक्ता दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं

स्थान रोशनानान

तारीख 11-01-2012

✓ अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रोशनानान स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।

✓ अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

ATTESTED

SURENDRA KUMAR

NOTARY ADVOCATE

DISTT. COURT, HARDWAS

टिप्पणी :— इस प्रलेप के वे रसम, जो अभिसाक्षी को लगाये जायें।


STIPLED BY

✓



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 252425



[Signature]